इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2018—आषाढ़ 8, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2018

क्र. ई-5-958-आयएएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री अनूप कुमार सिंह, भाप्रसे (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भिण्ड को दिनांक 30 मार्च से 28 अप्रैल 2018 तक, तीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 एवं 30 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री अनूप कुमार सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनूप कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

क्र. एफ 1(बी)35-17-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 6642-59-2016-चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के स. क्र. 22 पर चयनित अभ्यर्थी की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम (6) में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:—

स. क्र. (1)	मैरिट क्र./अनुक्रमांक (2)	नाम (3)	सीट (4)	श्रेणी (5)	नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण (6)
1	22/104719	श्री राजेश लिल्हारे	OBC	OBC	पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल, विशेष शाखा के पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2018 के माध्यम से प्राप्त श्री राजेश लिल्हारे के चरित्र सत्यापन के संबंध में छानबीन समिति द्वारा श्री राजेश लिल्हारे को पुलिस सेवा के लिये अयोग्य पाये जाने के निर्णय के आधार पर.

क्र. एफ 1 (बी)-35-17-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा-2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 6642-59-2016-चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची के स. क्र. 44 (अनुक्रमांक 138798) (अनुसूचित जन जाति-पुरुष) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री प्रभात कुमार पट्टा, बिंझिया तिराहा, दिव्य ज्योति नर्सिंग होम के पीछे, मण्डला, मध्यप्रदेश 481661 के संबंध में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्र. स.मे.बो.-17-9004, दिनांक 19 सितम्बर 2017 के साथ संलग्न प्राप्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में Partial colour blind अंकित होने के कारण अनफिट लेख किये जाने पर इनकी दिनांक 10 जनवरी 2018 को समक्ष में सुनवाई नियत की गई. सुनवाई में इनके द्वारा पुनः राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र ग्राह्य किया जाकर इनका राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया और समसंख्यक पत्र दिनांक 5 मई 2018 द्वारा इस हेतु संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल को लिखा गया.

(2) श्री प्रभात कुमार पट्टा द्वारा दिनांक 11 मई 2018 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर यह लेख किया गया कि उनका अन्य वरिष्ठ वर्ग/पद पर चयन हो जाने के कारण वे उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं.

(3) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 के नियम-8 (2)(घ) में के अनुसार अभ्यर्थी चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना चाहिये और दृष्टि जांच (विजन टेस्ट) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिये, उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिये संबंधी प्रावधान के विपरीत श्री प्रभात कुमार पट्टा को Partial colour blind होने के कारण संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट लेख किये जाने एवं उपर्युक्त कंडिका-02 में उल्लेखित अनुसार उनके द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर से उम्मीदवार वापस लिये संबंधी आवेदन-पत्र के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-1(ए)-176-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2018 को निरस्त करते हुए श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 10 से 18 मई 2018 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ 1(बी) 159-2016-(बी) 4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	05	श्री अंजुल अयंक मिश्रा, एच-76, वार्ड नं. 12, चनपुरियान टोला, ब्यौहारी, शहडोल मध्यप्रदेश-484774.	आगर
2	06	श्री नवीन तिवारी, एम.पी. बिरला हास्पिटल कैम्पस, फ्लेट नं. 07/02, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना, मध्यप्रदेश 485005.	रीवा
3	07	श्री सतीश साहू, आत्मज श्री बलराम साहू, वार्ड नं. 06, साहू मोहल्ला, सहपुरा, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश-481990.	श्योपुर
4	16	श्री संजय कौच्छा, सातवीं मंजिल, वृत्त 12, चेतक चेम्बर, वाणिज्यकर विभाग, मधुमिलन चौराहा, इन्दौर, मध्यप्रदेश.	उज्जैन
5	17	श्री लोकेश डाबर, आत्मज श्री मोहन डाबर, शासकीय कॉलेज भवन के सामने, नवलपुरा, बड़वानी रोड, राजपुर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश.	अलीराजपुर

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8) परीवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक ''बाण्ड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पूविष्टियॉ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 14 जून 2018

क्र. एफ-1(ए) 29-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती निवेदिता नायडू, परि. भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक/एसएचओ थाना तिलक नगर, इन्दौर को अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम 1955 के नियम 15 सहपठित नियम 21 के अन्तर्गत निहित शर्तों के अध्याधीन दिनांक 14 मई 2018 से 30 अप्रैल 2019 तक, 351 दिवस का असाधारण अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि असाधारण अवकाश (EOL) के लिए कोई छुट्टी वेतन नहीं दिया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब (एक)-2403-18.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में जो मध्यप्रदेश राज्यपत्र भाग-एक में, दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 33 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित

प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"33.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.	राजगढ़."

F-No.1-1-88-XXI-B(1)-2403-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 6th November, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 33 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"33.	1st Additional Sessions Judge, Rajgarh.	Rajgarh".

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक) 2480, 2534-2018.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 29, 30, 32, 38, 40 तथा 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
"29.	श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, सेशन न्यायाधीश, बैतूल.	बैतूल	बैतूल
30.	श्री काशिफ नदीम खान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
32.	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्ययाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पूर्वी निमाड खण्डवा.	पूर्वी निमाड खण्डवा	पूर्वी निमाड़ खण्डवा

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	श्री मसूद अहमद खान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम.	रतलाम	रतलाम
40.	श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सिवनी.	सिवनी	सिवनी
41.	श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.	शिवपुरी	शिवपुरी
42-क.	श्री जय शंकर श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली (बैढ़न).	सिंगरौली (बैढ़न)	सिंगरौली (बैढ़न)."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No. 1-6-89-XXI-B (1) 2480-2534-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial numbers 29, 30, 32, 38, 40 and 41 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name and designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
"29.	Shri Bhoopendra Kumar Nigam, Sessions Judge, Betul.	Betul	Betul
30.	Shri Kasif Nadeem Khan, 1st Additonal Sessions Judge, Chhindwara.	Chhindwara	Chhindwara
32.	Shri Surendra Kumar Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes, (Prevention of Atrocities) Act, East Nimar Khandwa.	East Nimar Khandwa	East Nimar Khandwa
38.	Shri Masood Ahmad Khan, 1st Additional Sessions Judge, Ratlam.	Ratlam	Ratlam
40.	Shri Avinindra Kumar Singh, Sepcial Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Seoni.	Seoni	Seoni

(1)	(2)	(3)	(4)
41.	Shri Bramha Shankar Dixit, IIIrd Additional Sessions Judge, Shivpuri.	Shivpuri	Shivpuri
42-A	Shri Jai Shankar Shrivastava, 1st Additional Sessions Judge, Singruali (Waidhan).	Singruali (Waidhan)	Singruali (Waidhan)."

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र.1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-2536-2018.—अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे सारणी दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अपर सेशन न्यायाधीशों को कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	जिला	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
"1	अलीराजपुर	श्री राकेश कुमार सिंह (जूनि.), द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर
2	अनूपपुर	श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर
3	अशोकनगर	श्री आनंद प्रिय राहुल, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर
4	बुरहानपुर	श्री नरेन्द्र पटेल, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर
5	सिंगरौली	श्री जय शंकर श्रीवास्तव, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली
6	उमरिया	श्री अरविंद कुमार, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया."

F. No. 1-2-90-XXI-B-(1)-2536-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the Additional Sessions Judges mentioned in column (3), as Special Judges for districts mentioned in column (2), of the table given below, to try the offences under the said Act, namely:—

TABLE

S. No.	Districts	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
"1	Alirazpur	Shri Rakesh Kumar Singh (Jr.) IInd Additional Sessions Judge, Alirazpur
2	Anuppur	Shri Varindra Kumar Tiwari, IInd Additional Sessions Judge, Anuppur
3	Ashoknagar	Shri Anand Priya Rahul, Ist Additional Sessions Judge, Ashoknagar
4	Burhanpur	Shri Narandra Patel, IInd Additional Sessions Judge, Burhanpur
5	Singrauli	Shri Jai Shankar Shrivastava, Ist Additional Sessions Judge, Singrauli
6	Umaria	Shri Arvind Kumar, IIIrd Additional Sessions Judge, Umaria."

फा. क्र. 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब-(एक)-2537-2018.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8

2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 02 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	श्री राजाराम बडोदिया, बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 2, जबलपुर.	विशेष न्यायालय क्रमांक 2, जबलपुर	जबलपुर."

F. No. 17(E)8-2012-XXI-B (1)2537-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012) read with sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification No. F. No.17(E)8-2012-XXI-B(One), dated 2nd March 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 2nd March 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of Judge	Name of special Court constituted u/s 3 (1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam 2011	Head quarter
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Shri Rajaram Badodiya, XII[th] Additional Sessions Judge Special Court No. 2, Jabalpur.	Special Court No. 2, Jabalpur	Jabalpur."

भोपाल, दिनांक 14 जून 2018

फा. क्र. 17-(ई)-44-2013-इक्कीस-ब-(एक)-2535-18.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 40, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
"40.	सिंगरौली (बैढ़न)	श्री जयशंकर श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली (बैढ़न)."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E)-44-2013-XXI-B (One) 2535-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 40 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"40.	Singrauli (Waidhan)	Shri Jai Shankar Shrivastava, Ist Additional Sessions Judge, (Waidhan) Singrauli."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 17(ई)25-2018-इक्कीस-ब(एक)-2570-2018.—भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 11) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को तथा इस निमित्त उसकी सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा राज्य के समस्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारियों को उक्त उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है.

F. No. 17(E)-25-2018-XXI-B (One) 2570-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of the Bureau of Indian Standards Ac, 2016 (No. 11 of 2016) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Madhya Pradesh, hereby, specially empowers all Chief Judicial Magistrates in the State for the purpose of the said sub-section (2).

भोपाल, दिनांक 15 जून 2018

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-2477-2018.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 43 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु.-क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"43.	श्री चौधर सिंह सैयाम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, मण्डला.	मण्डला	मण्डला	मण्डला	मण्डला

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-2477-2018.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 43 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"43.	Shri Chaudhar Singh Shaiyam, IInd Civil Judge, Class-I. Mandla.	Mandla	Mandla	Mandla	Mandla

फा. क्र. 3 (बी)-2016-इक्कीस-ब(एक)-2752.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 की चयन सूची दिनांक 29 अगस्त 2017 में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री मुकेश कुमार वर्मा पिता श्री जीवनलाल चौधरी (मेरिट क्र. 67) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मुकेश कुमार वर्मा पिता श्री जीवनलाल चौधरी का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 67 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करते है.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2018

फा. क्र. 2335-इक्कीस-ब(दो).—श्री संजय द्विवेदी, उप महाधिवक्ता, जबलपुर को आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था. श्री संजय द्विवेदी, उप महाधिवक्ता, जबलपुर का उक्त पद से त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाता है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 2587.—(मेरिट क्र. 44), राज्य शासन श्री आशीष कुमार शुक्ला पिता स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर. जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला कानपुर, उत्तरप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 19 जुलाई 1972 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 2590.—(मेरिट क्र. 27), राज्य शासन श्री प्रवीण हजारे पिता श्री बालकृष्ण हजारे को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1980 है.

फा. क्र. 3(ए) 2819-इक्कीस-ब (एक)-2.—(मेरिट क्र. 54), राज्य शासन श्री देवेन्द्र कुमरा कुण्डू पिता स्व. श्री मेहर सिंह कुण्डू को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला रोहतक, हरियाणा है. उसकी जन्मतिथि 24 दिसम्बर 1969 है.

भोपाल, दिनांक 19 जून 2018

फा. क्र. 2848-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मनोज कुमार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश को तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायकि सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम-9(सी) के अन्तर्गत सेवा से पृथक् (Terminate) किये जाने संबंधी इस विभाग का आदेश क्रमांक 3406-2017-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 7 सितम्बर 2017 तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री मनोज कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर पुर्नस्थापित करता है.

श्री मनोज कुमार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश को सेवा से पृथक् किये जाने के दिनांक से पुन: कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक वेतन के अतिरिक्त अन्य सभी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी.

फा. क्र. 2849-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अशरफ अली, प्रथम अपर जिला एवं न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश को तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम-9(सी) के अन्तर्गत सेवा से पृथक् (Terminate) किये जाने संबंधी इस विभाग का आदेश क्रमांक 3538-2017-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 7 सितम्बर 2017 तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री अशरफ अली, प्रथम अपर जिला एवं न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर पुर्नस्थापित करता है.

श्री अशरफ अली, प्रथम अपर जिला एवं न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश को सेवा से पृथक् किये जाने के दिनांक से पुन: कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक वेतन के अतिरिक्त अन्य सभी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2018

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक)-2725.—(मेरिट क्र. 52), राज्य शासन श्री रमेश रंजन चौबे पिता पारस नाथ चौबे को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला बक्सर, बिहार है. उसकी जन्मतिथि 31 जनवरी 1971 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 15th June 2018

CORRIGENDUM

F. No. 2232-XXI-B(II)-2018.—In the order No. 1918-XXI-B(II)-2018, dated 14th May 2018, issued by this department, regarding appointment of Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh in the Supreme Court of India, New Delhi, instead of "Shri Rajesh Shrivastava" read "Shri Rajesh Srivastava".

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
GOPAL SHRIVASTAVA, Secy.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2018

क्रमांक आर-248-2018-बाईस-वि. 4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा निर्णय लिया गया कि स्व-सहायता समूह संवर्धन नीति 2007, दिनांक 1 नवम्बर 2007 से लागू नीति में संशोधन हेतु कंडिका 4 की उपकंडिका 4.1.4 के वर्तमान प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:—

4.1.4 : समूह/फेडरेशन के बिजनेस प्लान के आधार पर अधिकतम रु. 50.00 लाख तक की राशि शासन द्वारा एकमुश्त समूह/फेडरेशन को दी जा सकेगी. समूह/फेडरेशन द्वारा इस राशि को एफ.डी.आर. के रूप में अपने बैंक खाते में रखना होगा. इस राशि के विरुद्ध प्राप्त साख सीमा का उपयोग कार्यशील पूंजी हेतु किया जा सकेगा. बैंक में जमा की जाने वाली मार्जिन मनी का 5 प्रतिशत परिसंघ द्वारा अपने योगदान से जमा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2018

क्र. एफ-31-06-2018-सत्ताईस-एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट षक संगठनों के लिए उक्त सारणी के कॉलम (3) तथा कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है, अर्थात्:—

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
		ग्रामों की संख्या	विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कठोरा उद्‌वहन सिंचाई योजना का वितरण कक्ष क्रमांक-1.	5	1750	01
2	कठोरा उद्‌वहन सिंचाई योजना का वितरण कक्ष क्रमांक-2.	6	1795	01
3	कठोरा उद्‌वहन सिंचाई योजना का वितरण कक्ष क्रमांक-3.	9	1785	01
4	कठोरा उद्‌वहन सिंचाई योजना का वितरण कक्ष क्रमांक-4.	6	1615	01

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2018

क्र. एफ-25-34-2018-दस-3.—चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 12 जनवरी 2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7196-4036-06-दस-3, दिनांक 29 दिसम्बर 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था;

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है. यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी. यह यह वनखण्ड 21°43'56.963" से 21°44'36.246" उत्तर अक्षांश तथा 75°35'57.700" से 75°36'7.890" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—गोगांवा, वनमण्डल—खरगोन, वनपरिक्षेत्र—खरगोन

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्र./ संरक्षित वन कक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अतरली	28/खरगोन	अतरली/ अतरली	2, P-1191	निस्तार/ चिरनोई	डी-7196-4036 -06-दस-3 दिनांक 29-12-07 प्रकाशन दिनांक 17-1-07	10.818	**उत्तर**—मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक, राजस्व ग्राम रसूलपुरा की दक्षिणी सीमा. **पूर्व**—मुनारा क्रमांक 2 से 10 खरगोन उमरखली मार्ग. **दक्षिण**—मुनारा क्रमांक 10 से 12 निजी भूमि. **पश्चिम**—मुनारा क्रमांक 12 से 1 तक, कुंदा नदी की प्राकृतिक सीमा.
						योग . .	10.818	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2018

क्र. एफ-25-34-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-34-2018-दस-3, दिनांक 20 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 20th June 2018

No. F-25-34-2018-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 7196-4036-06-X-3, dated 29th December 2006 publihsed in the Madhya Pradesh Gazette dated 12th Junuary 2007 the State Government, under Section 4 of the Indian Fores Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

AND WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21°43'56.963" to 21°44'36.246" North Latitude and 75°35'57.700" to 75°36'7.890" East longitude :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Gongawa, Forest Division—Khargone (T) Forest Range—Khargone

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village /PF Block	Khasra No./PF Compart-ment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (hectare)	Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Atarli	28/ Khargone	Atarli/ Atarli	2,P-1191	Nistar Charnoi	D-7196-4036-06 X-3 Date 29-12-06 Published Date 12-1-07	10.818	**North**—Pillar No. 1 to 2 Southern boundary of Revenue Village Rasulpura. **East**—Pillar No. 2 to 10 Khargone Umarkhali Road. **South**—Pillar No.10 to 12 Private Land. **West**—Pillar No.12 to 1, Natural boundary line of Kunda River.
						Total . .	10.818	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2018

क्र. एफ-25-35-2018-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश भाग-1 दिनांक 12 जनवरी 2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7172-4578-06-दस-3, दिनांक 29 दिसम्बर 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था;

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है. यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी. यह वनखण्ड 21°46'28,371" से 21°46'50.321" उत्तर अक्षांश तथा 75°41'39.082" से 75°42'13.993" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—गोगांवा, वनमण्डल—खरगोन, वनपरिक्षेत्र—खरगोन

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्र./ संरक्षित वन कक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	नागझिरी	33/घट्टी	नागझिरी/ नागझिरी	770 771 774 775, पी-1192	नि. च.	डी-7172-4578 -06-दस-3 दिनांक 29-12-06 प्रकाशन दिनांक 12-1-07	14.759 8.510 2.873 1.335	**उत्तर**—मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक, ग्राम ग्यासपुरा की सीमा. **पूर्व**—मुनारा क्रमांक 8 से 16 तक खसरा क्र. 776, 779/4 एवं 772 की सीमा. **दक्षिण**—मुनारा क्रमांक 16 से 22 तक ग्राम बलगांव की सीमा. **पश्चिम**—मुनारा क्रमांक 22 से 26 एवं 1 तक खसरा क्र. 768 की सीमा.
						योग . .	27.477	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2018

क्र. एफ-25-35-2018-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-35-2018-दस-3, दिनांक 20 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 20th June 2018

No. F-25-35-2018-X-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 7172-4578-06-X-3, dated 29th December 2006 publised in the Madhya Pradesh Gazette dated 12th Junuary 2007, the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as Reserved forest ;

AND, WHEREAS, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21°46'28.371" to 21°46'50.321" North latitude and 75°41'39.082" to 75°42'13.993" East longitude :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Gongawa, Forest Division—Khargone (T) Forest Range—Khargone

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Compart-ment	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (hectare)	Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nagziri	33/ Ghatti	Nagziri/ Nagziri	770 771 774 775 P-1192	Nistar Charnoi	D-7172-4575-06 X-3 date 29-12-06 published date 12-1-07	14.759 8.510 2.873 1.335	**North**—Pillar No. 1 to 8 boundary of Village Gyaspura. **East**—Pillar No. 8 to 16 boundaries of Kh.No. 776, 779/4 and 772. **South**—Pillar No.16 to 22 boundaries of Village Balgaon. **West**—Pillar No. 22 to 26 and 1, boundary of Kh. No. 768.
						Total . .	27.477	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2018

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री आसिफ हसन को जिला भोपाल के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री व्ही. के. मिश्रा, को जिला सागर के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री सुहास गंधे को जिला ग्वालियर के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, डॉ. राकेश विजयवर्गीय को जिला इन्दौर के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री अनुराज सिंह यादव को जिला पन्ना के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री सचिन कुमार शर्मा, को जिला खरगौन के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री आसिफ हसन को जिला भोपाल के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री सचिन कुमार शर्मा, को जिला खरगौन के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री सुहास गंधे को जिला ग्वालियर के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, डॉ. राकेश विजयवर्गीय को जिला इन्दौर के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री अनुराज सिंह यादव को जिला पन्ना के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा-4 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री व्ही. के. मिश्रा, को जिला सागर के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षण के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र. 301-001-2004.—मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 (7) में वैष्ठित शक्तियों के अधीन मुख्य जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त अन्य जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशों में परिवर्तन करते हुए नीचे सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त निम्न सारिणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है, यह व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी:—

क्र. (1)	मुख्य जिला फोरम (2)	संबद्ध जिला फोरम (3)
1	भोपाल क्रमांक-1	भोपाल क्रमांक-2 एवं सीहोर
2	इन्दौर क्रमांक-1	इन्दौर क्रमांक-2
3	ग्वालियर	भिण्ड, मुरैना
4	जबलपुर क्रमांक-1	जबलपुर, क्रमांक-2, मण्डला एवं डिण्डोरी
5	रीवा	सीधी, शहडोल, अनूपपुर एवं उमिरया
6	उज्जैन	देवास, मंदसौर एवं नीमच
7	सागर	विदिशा, रायसेन एवं दमोह
8	छिन्दवाड़ा	सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर एवं बैतूल
9	गुना	राजगढ़, अशोक नगर एवं शाजापुर
10	धार	बड़वानी, झाबुआ एवं रतलाम
11	सतना	पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं कटनी
12	खण्डवा	बुरहानपुर, हरदा, मण्डलेश्वर एवं होशंगाबाद

2. जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी में वर्तमान में अध्यक्ष का पद रिक्त है. अत: शिवपुरी, श्योपुर एवं दतिया में वर्तमान में लागू व्यवस्था यथावत रहेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशानुसार,
हरेन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

''कचनार'' ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

अलीराजपुर, विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3350-वि.यो. 496-नग्रानि.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अलीराजपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर.
2. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, झाबुआ.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् अलीराजपुर

अनुसूची

क्रमांक	अलीराजपुर विकास योजना 2021 में निर्दिष्ट प्रावधान	अलीराजपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)
1.	**अध्याय-4** 4.12 **प्राकृतिक परिसकंट उन्मुख क्षेत्र :** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में समय-समय पर हुए संशोधनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.	1. **अध्याय-4** 4.12 **प्राकृतिक परिसकंट उन्मुख क्षेत्र :** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में समय-समय पर हुए संशोधनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.
2.	**अध्याय-6** 6.1 प्रवृत्तशीलता 2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन शामिल है, तथा भूमि के व्यवसायिक उपयोग के परिपेक्ष्य में भूमि उपयोग.	**अध्याय-6** 6.1 प्रवृत्तशीलता 2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन, संयुक्तिकरण/विलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है.
3.	**अध्याय-6** 6.2 क्षेत्राधिकार 1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-4463/5667/32/76, भोपाल, दिनांक 25-9-1973 द्वारा गठित एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-3-86-2005-32, भोपाल, दिनांक 5-11-2005 द्वारा पुनर्गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे.	**अध्याय-6** 6.2 क्षेत्राधिकार 1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-4463/5667/32/76, भोपाल, दिनांक 25-9-1973 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होंगे.

(1)	(2)	(3)
	अध्याय-6	अध्याय-6
4.	**6.3 परिभाषायें** **भू-खंडीय विकास**	**6.3 परिभाषायें** **भू-खंडीय विकास**
	विकास से तात्पर्य एक भूमि के टुकड़े (अभिन्यास) का भू-खण्डों में उपविभाजन जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखत: एकल परिवार/संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो, ऐसे परिसर में गैरेज/गैरेजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लॉक का प्रावधान हो. अन्य परिभाषाएं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में वर्णित अनुरूप है.	विकास से तात्पर्य एक भूमि के टुकड़े (अभिन्यास) का भू-खण्डों में उपविभाजन जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखत: एकल परिवार/संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो, ऐसे परिसर में गैरेज/गैरेजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लॉक का प्रावधान हो. अन्य परिभाषायें मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में वर्णित अनुरूप होगी.
5.	**अध्याय-6** **6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन** 5. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक अभिन्यास का भाग अनौपचारिक वर्ग के आवासीय क्षेत्र हेतु आरक्षित किया जायेगा.	**अध्याय-6** **6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन** 5. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुरूप कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु अभिन्यासों में प्रावधान करना होगा.
	6. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के परिशिष्ट एम. (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषत: अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए.	6. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के परिशिष्ट "ञ" (नियम-99) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषत: अल्प आय तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिन्यास मान्य होंगे.
6.	**अध्याय-6** **6.5 अलीराजपुर आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड 6-सा-2** **टीप-5** भवन की अधिकतम ऊंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुरूप होगी.	**अध्याय-6** **6.5 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड** **6-सा-2** **टीप-5** भवन की अधिकतम ऊंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप होगी.
7.	**अध्याय-6** **6.5.1 समूह आवास** (अ) समूह आवास परियोजनाओं हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार मापदण्ड लागू होंगे. (ब) समूह आवास परियोजनाओं हेतु फर्शी क्षेत्रानुपात 1.50 अनुज्ञेय होगा.	**अध्याय-6** **6.5.1 समूह आवास** समूह आवास, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-60 तथा 42 (आवश्यकता अनुसार) के अनुरूप मान्य होगें.
8.	**अध्याय-6** **6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे.	**अध्याय-6** **6.5.2 ऊंचे भवनों का निर्माण** उंचे भवनों का निर्माण मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-42 एवं सहपठित नियम-12 के प्रावधान अनुरूप मान्य होगा.

(1)	(2)	(3)
9.	**अध्याय-6** **6.5.3 वन आवास (फार्म हाउस)** विकास योजना में प्रस्तावित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र के मध्य कृषि क्षेत्र में कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं कृषि फार्म संबंधी अन्य गतिविधियां आच्छादित क्षेत्र आदि निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है. इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे. 1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा. 2. अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा. 3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊंचाई 6.5 मीटर होगी. 4. फार्म हाउस के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर, प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण कराना होगा. जिनके विकास एवं सरंक्षण का दायित्व आवेदक का होगा. 5. फार्म हाउस केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिसके लिए सार्वजनिक मार्ग (सड़क) द्वारा पहुंच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो. 6. फार्म हाउस में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र होगा. 7. आवासीय/आच्छादित भवन का, फार्म हाउस बाढ़ से कम से कम सेटबेक 15 मीटर होगा. 8. यदि फार्म हाउस पक्की सड़क पर स्थिति हो तो ऐसी दशा में बाढ़ से 22 मीटर का सेटबेक रखा जायेगा तथा ग्रामीण सड़क पर यदि फार्म हाउस हो तो ऐसी नहीं होना चाहिये. (द) भूखण्ड का लम्बा भाग अग्र भाग होगा. 4.18 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गों पर नये पेट्रोल पंप निषिद्ध होंगे. अन्य प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अनुसार रहेंगे.	**अध्याय-6** **6.5.3 फार्म हाउस अनुज्ञा** फार्म हाऊस की अनुज्ञा हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-17 के प्रावधान मान्य होंगे.
13.	**6.6.3 छविगृहों के लिए मापदण्ड** **मार्ग चौड़ाई**—छविगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी. **विराम स्थल (पार्किंग).**—सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई. सी. एस. प्रति 100 वर्गमीटर अथवा एक ई. सी. एस. प्रति 150 कुर्सीयों के लिए, इनमें जो भी कम हो. **आवश्यक क्षेत्र.**—2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से	**6.6.3 छविगृहों के लिए मापदण्ड** छविगृहों के लिए मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम-53 (3) (दो) के अनुरूप मान्य होंगे.

(1)	(2)	(3)
	आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावें. **भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र.**—बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छविगृहों के लिए अधिकतम 33 प्रतिशत. **सीमांत खुला क्षेत्र.**—न्यूनतम 15 मीटर **आजू/बाजू.**—न्यूनतम 4.5 मीटर/4.5 मीटर **पीछे.**—न्यूनतम 4.5 मीटर.	
14.	**6.7 औद्योगिक विकास मानक अभिन्यास के मानक**—औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार होंगे.— **1. भूखण्ड का क्षेत्र.**—अधिकतम 60 प्रतिशत **2. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र.**—अधिकतम 30 प्रतिशत. **3. दुकानें एवं अन्य सेवा सुविधाएं.**—न्यूनतम 10 प्रतिशत. **औद्योगिक क्षेत्रों हेतु विकास मापदण्ड.**—सारणी क्रमांक 6-सा-6 सारणी के प्रावधान विवरण सहित.	**6.7 औद्योगिक विकास मानक अभिन्यास के मानक.**—औद्योगिक क्षेत्रों विकास मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम-48 के अनुरूप होंगे.
15.	**6.8 अलिराजपुर सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड सम्बंधी सारणी 6-स-8 के प्रावधान सारणी के विवरण सहित.**	**6.8 अलिराजपुर सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड.**—सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम-49(1) अनुसार मान्य होंगे.
16.	**6.10 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित है.—** —नदी, नाले एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार होगा.	**6.10 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित है.**—नदी, नाले एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-50 के प्रावधानों अनुसार होगा.
17.	**6.14 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग** **अलीराजपुर : स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6-सा-13** **आवासीय** आवासीय स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर.	**6.19 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग** **अलीराजपुर : स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6-सा-13** **आवासीय** आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि/गृह/रेस्टहाउस, रात्री विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज, हॉल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडप, कम्यूनिटी हॉल, मेरिज गार्डन, बाल गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, शापिग मॉल साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/नेवरहूड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, धार्मिक परिसर, क्लीनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स होटल, ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र, सूचना प्राद्योगिकी उद्योग, सामान्य

(1)	(2)	(3)
		चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिये विद्यालय (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता) समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/अर्द्ध शासकीय/शासकीय कार्यालय, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमीशन टावर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलिविजन स्टेशन, वेधशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट आफिस, दूर संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टाप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्टस काम्पलेक्स, आरचर्ड/नर्सरी, लायब्रेरी, म्यूजियम स्टाफ क्वार्टर, बैंक/एटीएम, रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान.
18. **6-सा-13** **वाणिज्यिक** वाणिज्यिक स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर.		**6-सा-13** **वाणिज्यिक** अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, गेस्ट हाउस/रेस्टहाउस, रात्रि विश्राम गृह/धर्मशाला, मेरिज हॉल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडप/कम्यूनिटी हॉल/मेरिज गार्डन, बाल गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, शापिंग मॉल साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नैवरहूड पार्क, बालगृह, दिनदेखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, नैदानिक प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स होटल, ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय, कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, क्रीडा स्कूल, कोचिंग सेन्टर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर संचार केन्द्र, ट्रांसमीशन टॉवर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलिविजन स्टेशन, वेधशाला एवं मौसम कार्यालय, दमकल स्टेशन, दूरभाष केन्द, पोस्ट आफिस, दूर संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस नेवरहूड पार्क, झूलाघर, दिनदेखभाल, केन्द्र, धार्मिक परिसर, नैदानिक प्रयोगशाला, खुला रंचमंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील) सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, क्रीडा स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं

(1)	(2)	(3)
		पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिये विद्यालय (अ–मानसिक विकलांगता, ब–शारीरिक विकलांगता) समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत, नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/अर्द्ध शासकीय/शासकीय कार्यालय, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमीशन टावर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलिविजन स्टेशन, वेधशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्टस कामप्लेक्स, लायब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए. टी. एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेशन सेन्टर, सामाजिक कल्याण केन्द्र. सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
21.	**6–सा–13** **यातायात एवं परिवहन,** यातायात एवं परिवहन स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर.	**6–सा–13** **यातायात एवं परिवहन,** रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाइन माल प्रांगण, नगर बस अवसान केन्द्र, ट्रांसपोर्ट नगर, हवाई पट्टी, हेलीपेड, मालगोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशाप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, पेट्रोल पंप.
22.	**6–सा–13** **आमोद–प्रमोद** आमोद–प्रमोद स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर.	**6–सा–13** **आमोद–प्रमोद** क्षेत्रीय उद्यान, नगरीय उद्यान, खेल के मैदान, स्टेडियम, तरणताल, मेला स्थल एवं मेला मैदान, प्रदर्शनी स्थल.
23.	**6–सा–13** **कृषि,** कृषि स्वीकृत उपयोग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग के स्थान पर.	**6–सा–13** **कृषि,** ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो कृषि शब्द की परिभाषा में म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम–1973 में वर्णित है. श्मशान घाट, कब्रिस्तान, जल–मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे, दूग्ध डेयरी, ओपन मॉल तेल डिपो एवं पेट्रोल पंप, वन आवास (फार्म हाउस) सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या.—

i. * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि म. प्र. शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म. प्र. निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग. प्रदूषण

iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 17 के नियम 2012क में वर्णित अनुसार.

टीप.—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर होगी. 12.0

(1)	(2)	(3)
24.	**6.15 मल्टी प्लेक्स हेतु मापदण्ड** मल्टी प्लेक्स हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधान लागू होंगे.	**6.15 मल्टी प्लेक्स हेतु मापदण्ड** मल्टी प्लेक्स हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान लागू होंगे.
25.	**6.18 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया.—** विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होगी. पृष्ठ क्रमांक 94 एवं 95 पर बिन्दु क्रमांक 1 से 15 का प्रतिस्थापन.	**6.18 विकास/नियोजन अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया.—** विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदक को विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधाननुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होंगी. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधाननुसार के अनुसार विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी.
26.	**6.19 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू-उपयोग).—** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 49(3) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी.— 1. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो. 2. अद्यतित खसरा पांचसाला एवं खसरा खतौनी. 3. आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा. 4. जब आवश्यक हो भूमि का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हो.	**6.19 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया.—** विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया.—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 टिप्पणी 4 के अनुसार होगी.
27.	**अध्याय-7** **विकास योजना का क्रियान्वयन** भूमि उपयोग तथा भूमि पर विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है.	**अध्याय-7** **विकास योजना का क्रियान्वयन** भूमि उपयोग तथा भूमि पर विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

राहुल जैन, संचालक.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 20 जून 2018

क्र. एफ 1-1-18-रा.स.-यू.ए.-1-979.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई हैं:—

1	डॉ. दक्षेस आर. ठाकर, पूर्व कुलपति, (वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय), सूरत-395004 (गुजरात).	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2	प्रो. एच. सी. एस. राठौर, कुलपति, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम-करहारा, पोस्ट-फतेहपुर, पी. एस.-टेकरी, जिला-गया (बिहार) पिन-824236	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
3	प्रो. कपिल देव मिश्रा, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर-482001.	समिति के सदस्य	कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. दक्षेस आर. ठाकर पूर्व कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,
राज्यपाल के सचिव.

राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 जून 2018

क्र. -रा.स.-यू.ए.-5-2014.—इस सचिवालय के समसंख्याक अधिसूचना क्रमांक 611-रा. स.-यू.ए.-5-2014, दिनांक 27 अप्रैल 2018 के अनुक्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा अधिनियम की धारा 27(2) (पांच) के तहत् डॉ. सुनन्दा सिंह रघुवंशी, ई-7/59, एस. बी. आई. कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल को दिनांक 20 जून 2018 से 19 जून 2021 तक विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के सदस्य नामनिर्देशित किया गया है.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
राज्यपाल के सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 16 मई 2018

सार्वजनिक सूचना

क्र.-भू-अर्जन-2018-2600 .—चूंकि मध्यप्रदेश राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम प्रबंध संचालक विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन डी. एम. आई. सी. परियोजना अंतर्गत जिला उज्जैन में विक्रम उद्योगपुर की स्थापना हेतु ग्राम-नरवर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमिस्वामी/भूमि स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप ''ख'' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियम अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा:—

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला : उज्जैन
तहसील : उज्जैन
ग्राम: : नरवर
क्षेत्रफल : रकबा 1.57 हे.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	सर्वे नंबर (हे. मे.)	रकबा (हे. मे.)	अधिग्रहित रकबा (हे. में)	अन्य संपत्ति (हे. मे.)	अन्य संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री दिलीप राजेश, ओमप्रकाश पिता भंवर जाट नि. ग्राम मूंजाखेड़ी.	523	2.27 पैकी	0.65	-	-
2	रहमत अली मुबारिक रंजक पिता कासम मेहर व रेशमबाई, सागरबाई पुत्रिया, कासम.	494 495	0.38 0.37	0.38 0.37	-	-
3	राजू, इकबाल पिता हुसैन, शमशाद, हरजाना, रिहाना, पिता हुसैन, बतुलबी पिता हुसैन हिस्सा 1/8 यासिन, पप्पु, सौकत पुत्र ईदा अस्मत अली, जमीला, अनिसा पुत्रीया ईदाखातुनबी नि. ग्राम नरवर.	496	0.58 पैकी	0.17	-	-
	कुल रकबा . .	4	-	1.57		

मनीष सिंह, कलेक्टर जिला उज्जैन.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 8 जून 2018

पत्र क्र. 269-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम —तेन्दुहा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.224 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	157	0.090	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	170	0.031		
3	158	0.099		
4	159	0.040		
5	165	0.048		
6	168	0.164		
7	166	0.155		
8	167	0.010		
9	171	0.117		
10	174	0.176		
11	186	0.113		
12	187	0.141		
13	199	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	202	0.070		
15	188	0.030		
16	200	0.119		
17	201	0.070		
18	203	0.079		
19	218	0.060		
20	219	0.034		
21	220	0.035		
22	233	0.106		
23	235	0.049		
24	236	0.077		
25	237	0.066		
26	238	0.024		
27	339	0.052		
28	340	0.004		
29	353	0.050		
30	354	0.150		
31	355	0.339		
32	360	0.238		
33	369	0.086		
34	370	0.105		
35	371	0.080		
36	426	0.077		
	योग . .	3.224		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 271-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य

नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम —सदला

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.446 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	0.004	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु
2	5	0.012		
3	3	0.036		
4	4	00.11		
5	55	0.030		
6	52	0.084		
7	54	0.150		
8	58	0.177		
9	61	0.134		
10	53	0.042		
11	97	0.064		
12	100	0.009		
13	146	0.019		
14	148	0.031		
15	149	0.036		
16	153	0.254		
17	172	0.348		
18	62	0.219		
19	48/1	0.206		
20	63	0.109		
21	64	0.009		
22	48/2	0.077		
23	65/1	0.052		
24	103	0.190		
25	109	0.073		
26	111	0.258		
27	134	0.055		
28	137	0.014		
29	136	0.245		
30	144	0.152		
31	170	0.158		
32	171	0.001		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	174	0.007		
34	145	0.180		
	योग . .	3.446		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र. क्र. 273-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम —देवरहा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.883 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	36	0.075	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	37	0.017		
3	38/234	0.080		
4.	38	0.096		
5	39	0.063		
6	47	0.030		
7	48	0.113		
8	49	0.004		
9	54	0.034		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	55	0.039		
11	56	0.153		
12	58	0.104		
13	59	0.075		
	योग . .	0.883		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 275-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—जनकपुर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.075 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	39	0.059	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	40	0.116		
3	42	0.024		
4	44	0.018		
5	160	0.077		
6	45	0.148		
7	161	0.181		
8	46	0.182		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	51	0.247		
10	52	0.021		
11	54	0.028		
12	55	0.093		
13	56	0.085		
14	62	0.002		
15	63	0.057		
16	64	0.147		
17	75	0.054		
18	76	0.089		
19	133	0.010		
20	134	0.012		
21	135	0.021		
22	129	0.116		
23	130	0.068		
24	131	0.067		
25	132	0.003		
26	156	0.024		
27	157	0.013		
28	171	0.050		
29	172	0.068		
30	158	0.015		
31	159	0.157		
32	168	0.016		
33	170	0.156		
34	173	0.012		
35	278	0.038		
36	286	0.093		
37	291	0.077		
38	292	0.067		
39	293	0.088		
40	294	0.006		
41	295	0.025		
42	280	0.084		
43	281	0.091		
44	287	0.098		
	योग . .	3.075		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 277-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम —महुगढ़

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.213 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	124	0.006	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	126	0.018		
3	127	0.042		
4	128	0.090		
5	159	0.053		
6	167	0.085		
7	172	0.041		
8	154	0.132		
9	183	0.007		
10	184	0.002		
11	155	0.010		
12	160	0.043		
13	161	0.068		
14	162	0.028		
15	163	0.045		
16	173	0.051		
17	168	0.028		
18	182	0.026		
19	266	0.080		
20	171	0.049		
21	254	0.023		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	255	0.079		
23	256	0.141		
24	261	0.067		
25	264	0.030		
26	174	0.069		
27	175	0.066		
28	257	0.147		
29	268	0.058		
30	270	0.047		
31	289	0.119		
32	290	0.071		
33	291	0.060		
34	389	0.004		
35	390	0.002		
36	391	0.017		
37	392	0.280		
38	393	0.029		
	योग . .	2.213		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 279-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम —करौंदी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.206 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1/430	0.048	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	1	0.196		
3	2	0.013		
4	3	0.069		
5	17	0.012		
6	19	0.004		
7	20	0.190		
8	21	0.079		
9	18	0.189		
10	65	0.181		
11	66	0.002		
12	69	0.064		
13	70	0.159		
	योग . .	1.206		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 281-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम —सैरपुर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.293 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1314	0.030	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	1322	0.059		
3	1324	0.140		
4	1308	0.090		
5	1315	0.055		
6	1316	0.387		
7	1323	0.327		
8	1304	0.066		
9	1303	0.011		
10	1328/1	0.232		
11	1328/4	0.150		
12	1329/3	0.030		
13	1330/1	0.018		
14	1331/1	0.047		
15	1327/1	0.008		
16	1332/1	0.230		
17	1330/2	0.020		
18	1329/2	0.020		
19	1331/2	0.050		
20	1328/5	0.005		
21	1328/2	0.010		
22	1302	0.019		
23	1301/2	0.007		
24	1328/3	0.230		
25	1332/2	0.052		
	योग . .	2.293		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 283-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद् स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम —दुअरा कला

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.394 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	270	0.017	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	271	0.154		
3	272	0.030		
4	273	0.022		
5	274	0.006		
6	275	0.078		
7	276	0.050		
8	282	0.050		
9	284	0.039		
10	285	0.077		
11	286	0.035		
12	287	0.015		
13	308	0.069		
14	307	0.037		
15	332	0.012		
16	340	0.018		
17	277	0.045		
18	283	0.002		
19	304	0.016		
20	305	0.088		
21	306	0.030		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	339	0.020		
23	338	0.043		
24	337	0.029		
25	333	0.009		
26	336	0.024		
27	335	0.034		
28	334	0.024		
29	210	0.030		
30	211	0.027		
31	212	0.026		
32	213	0.023		
33	215	0.014		
34	216	0.011		
35	214	0.049		
36	207/1	0.120		
37	209	0.019		
38	197	0.001		
39	198	0.060		
40	199	0.035		
41	208	0.091		
42	207/2	0.116		
43	200	0.008		
44	201	0.004		
45	202	0.244		
46	204	0.141		
47	419	0.001		
48	424	0.105		
49	195/3	0.073		
50	425	0.057		
51	196	0.081		
52	188	0.040		
53	187	0.001		
54	171	0.001		
55	426	0.123		
56	184/1216	0.018		
57	185	0.110		
58	172	0.003		
59	173	0.025		
60	176	0.070		
61	177	0.081		
62	184	0.037		
63	174	0.068		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64	175	0.007		
65	440	0.389		
66	269	0.005		
67	341	0.002		
68	343	0.005		
	योग . .	3.394		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 285-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम —पोखड़ौर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.963 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	249	0.298	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	250	0.154		
3	287/1			
4	287/2	0.538		
5	287/3			
6	287/4			
7	288	0.030		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	290	0.026		
9	334/1	0.078		
10	335	0.129		
11	334/2	0.028		
12	345	0.038		
13	349	0.003		
14	390	0.098		
15	346	0.017		
16	347	0.005		
17	348	0.285		
18	350	0.216		
19	252	0.020		
	योग . .	1.963		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 287-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम —कुशियारी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.139 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	463	0.105	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	449	0.056		
3	451	0.100		
4	445	0.175		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	437	0.215		
6	438/2	0.021		
7	432	0.105		
8	431	0.004		
9	433	0.107		
10	460	0.018		
11	424	0.015		
12	423	0.154		
13	420	0.195		
14	419	0.174		
15	417	0.040		
16	418	0.037		
17	415	0.095		
18	414/3	0.086		
19	413/2	0.040		
20	416	0.010		
21	414/2/1	0.114		
22	414/2/2	0.068		
23	411	0.121		
24	412	0.030		
25	406/2	0.028		
26	405/3	0.056		
27	405/2	0.091		
28	405/1	0.149		
29	403/2	0.027		
30	400	0.048		
31	387	0.012		
32	378	0.010		
33	402	0.018		
34	401	0.048		
35	399	0.001		
36	386	0.012		
37	388	0.060		
38	718/1	0.078		
39	384	0.015		
40	377	0.035		
41	718/2	0.060		
42	376/3	0.108		
43	362	0.068		
44	462	0.130		
	योग . .	3.139		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 289-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम —बेलहा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.523 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	1064/5	0.340	0.078	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	1069	3.390	0.480		
3	1066	0.100	0.100		
4	1067	0.160	0.160		
5	1070	0.740	0.109		
6	1127	0.700	0.010		
7	1128/1	0.020			
8	1128/2/1	0.080	0.120		
9	1128/2/2	0.120			
10	1128/3	0.200			
11	1133	0.240	0.084		
12	1135	0.370	0.212		
13	1143	0.280	0.280		
14	1144	0.240	0.078		

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
15	1145	0.280	0.091		
16	1146/1	0.220	0.073		
17	1147	0.350	0.069		
18	1158/2	0.330	0.026		
19	1159	0.150	0.129		
20	1160	0.080	0.035		
21	1181	0.600	0.091		
22	1182	0.490	0.207		
23	1183	0.190	0.027		
24	1300	0.440	0.234		
25	1301	0.250	0.034		
26	1178	0.550	0.019		
27	1179	0.120	0.100		
28	1312	0.070	0.066		
29	1311/1	0.150	0.002		
30	1314/1	0.010	0.010		
31	1314/2	0.110	0.030		
32	1332	0.050	0.028		
33	1333	0.040	0.018		
34	1329	0.150	0.033		
35	1328/1	0.130			
36	1328/2	0.040	0.080		
37	1328/3	0.050			
38	1338	2.030	0.350		
39	1335	0.170	0.060		
		योग . .	03.523		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 291-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व

मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम —पड़रिया

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.910 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	168	0.274	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु
2	173	0.030		
3	171/3/2	0.390		
4	171/3/2	0.005		
5	172/1/1	0.221		
6	172/1/2			
7	433	0.084		
8	452	0.003		
9	434	0.221		
10	435	0.028		
11	453/1	0.238		
12	453/2			
13	590	0.463		
14	600/1	0.033		
15	600/2/1			
16	618	0.054		
17	619	0.0640		
18	620	0.025		
19	622/1	0.427		
20	622/2			
21	432	0.090		
22	593	0.190		
23	634/1	0.070		
	योग . .	2.910		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 293-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम —भितरी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.733 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	37	0.111	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु
2	219	0.005		
3	220	0.001		
4	394	0.028		
5	393	0.059		
6	392	0.023		
7	391	0.220		
8	390	0.048		
9	389	0.056		
10	388	0.265		
11	443	0.279		
12	444	0.027		
13	445	0.238		
14	446	0.116		
15	448	0.001		
16	466	0.001		
17	450	0.474		
18	469	0.002		
19	470	0.166		
20	471	0.104		
21	584	0.008		
22	586	0.040		
23	472	0.092		
24	473	0.051		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	585	0.167		
26	588	0.132		
27	589	0.003		
28	351			
29	597	0.016		
	योग . .	2.733		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 295-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—अकौरी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.345 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	146/5	0.100	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु
2	146/6	0.100		
3	146/8/1	0.040		
4	146/8/2	0.050		
5	146/4	0.020		
6	128	0.122		
7	129/1, 129/2	0.141		
8	130	0.011		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	134	0.001		
10	131	0.047		
11	126/1, 126/2	0.150		
12	169	0.060		
13	170	0.088		
14	172	0.010		
15	167/2	0.142		
16	167/3	0.050		
17	168	0.011		
18	173	0.010		
19	174	0.070		
20	165/1	0.101		
21	165/2	0.050		
22	164/1	0.317		
23	163/3	0.230		
24	199	0.424		
	योग . .	2.345		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 297-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—झुमरिया

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 4.309 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8	0.004	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु
2	9	0.080		
3	12	0.019		
4	13	0.055		
5	14/2	0.293		
6	10	0.024		
7	23	0.092		
8	117	0.169		
9	118	0.201		
10	119/4/1	0.030		
11	221	0.065		
12	257/1	0.032		
13	119/4/2	0.040		
14	257/3	0.067		
15	119/4/3	0.032		
16	281/1	0.070		
17	256/1	0.003		
18	120	0.119		
19	121	0.125		
20	122	0.020		
21	201/1	0.100		
22	224/1	0.025		
23	215	0.005		
24	201/2	0.115		
25	200	0.185		
26	203/2	0.064		
27	202	0.204		
28	203/1	0.060		
29	224/2	0.030		
30	227	0.030		
31	222	0.072		
32	223	0.052		
33	253	0.091		
34	255	0.211		
35	218/2	0.065		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	257/2	0.045		
37	256/2	0.035		
38	282/1			
39	282/2			
40	282/3			
41	282/4	0.145		
42	282/5			
43	282/6			
44	28/1, 28/2	0.050		
45	283/1			
46	283/2			
47	283/3			
48	283/4	0.005		
49	283/5			
50	283/6			
51	281/1, 281/2	0.005		
52	285/1			
53	285/2			
54	285/3			
55	285/4	0.100		
56	285/5			
57	285/6			
58	285/7			
59	285/8			
60	276/1			
61	276/2	0.150		
62	276/3			
63	4/1			
64	4/2			
65	4/3	0.193		
66	4/4			
67	4/5			
68	27/1			
69	27/2			
70	27/3			
71	27/4	0.732		
72	27/5			
73	27/6			
74	27/7			
75	27/8			
	योग . .	4.309		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 299-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—पटेहरा कोठार

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.732 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	440	0.025	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	518	0.407		
3	519	0.022		
4	520	0.085		
5	525/1	0.010		
6	526	0.100		
7	528	0.091		
8	527	0.027		
9	589	0.159		
10	590	0.314		
11	525/2	0.005		
12	587	0.041		
13	588	0.118		
14	586	0.386		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	585	0.096		
16	584	0.180		
17	583	0.145		
18	560	0.123		
19	582/1	0.002		
20	582/2	0.003		
21	582/3	0.003		
22	607	0.040		
23	608	0.350		
	योग . .	2.732		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है

पत्र क्र. 301-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—सरखनिया

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.218 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	190	0.064	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	198	0.008	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	199	0.125	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	200	0.021		निर्माण हेतु
	योग . .	0.218		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 303-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—वल्लहा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.951 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7/1, 7/2	0.604	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	9	0.168		
3	16	0.004		
4	17	0.018		
5	20	0.014		
6	18	0.076		
7	19	0.067		
	योग . .	0.951		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 305-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम—गोड़हा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.718 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	141	0.030	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2	160	0.010		
3	174	0.032		
4	175	0.059		
5	161	0.020		
6	162	0.030		
7	163	0.052		
8	178/3	0.020		
9	178/4	0.270		
10	178/5	0.020		
11	181	0.031		
12	182	0.024		
13	183	0.120		
	योग . .	0.718		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 5th June 2018

No. B-3135-III-6-3-57-IX—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its earlier Notification No. C-1609-III-6-3-57-IX, Jabalpur, dated 8th April 2015, the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the Judicial Magistrate, First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property—(Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157, 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate, First Class can take cognizance, arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No. (4) of the said Table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely :—

TABLE

S. No.	Name of Magistrate	Head Quarter	Local Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Kapil Soni, JMFC, Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Ujjain, Guna, Ashoknagar, Indore, Shajapur, Ratlam, Khandwa, Burhanpur Sagar, Vidisha, Hoshangabad, Harda, Betul, Gwalior, Jabalpur, Satna, Morena, Narsinghpur, Rewa, Neemuch, Bhind, Katni, Chhatarupur, Shahdol, Umaria, Anoppur, Chhindwara & Sehopur.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
SANAT KUMAR KASHYAP, Registrar (D.E.)

जबलपुर, दिनांक 12 जून 2018

क्र. A-1621 दो 2-26-2010.—श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

1. दिनांक 21 से 26 मई 2018 तक, छह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.
2. दिनांक 11 जून से 15 जून 2018 तक, पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 16 से 20 जून 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1626-दो-2-55-2017.—श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 10 से 12 मई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 जून 2018

क्र. A-4637-दो-2-14-2014.—श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

(1) दिनांक 28 मई से 11 जून 2018 तक पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 12 से 15 जून 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

(2) दिनांक 4 से 15 जून 2018 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 3 से 17 जून 2018 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. A-1641-दो-2-40-2017.—श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 9 से 11 मई 2018 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 12 मई 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चन्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-1643-दो-2-06-2012.—श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 31 मई से 8 जून 2018 तक, नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 9 से 15 जून 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1645-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 27 से 28 अप्रैल 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1647-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 15 से 17 मई 2018 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3740-दो-2-39-2011.—श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 अप्रैल से 12 मई 2018 तक चौदह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3742-दो-2-34-2018.—कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को दिनांक 21 से 26 मई 2018 तक, छह दिन तक के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 27 से 29 मई 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-3744-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 11 से 12 अप्रैल 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-1649-दो-2-27-2017.—डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को निम्नानुसार अवकाश में निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 7 से 9 मई 2018 तक तीन दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 7 से 14 मई 2018 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ओ. पी. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 29 मई 2018

क्र. 652-गोपनीय-2018-II-2-33-57 (Pt.-13) .—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4 मार्च 2002, 14 जनवरी 2005, 4 नवम्बर 2009, 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 2611-2018-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 28 मई 2018 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत् निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित स्थान पर स्थानांतरित कर स्तम्भ क्रमांक (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	डॉ. सुभाष कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश, एस. सी/एस. टी. (पी. ए.) एक्ट, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	रीवा	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा की हैसियत से श्री प्रेम नारायण सिंह के स्थान पर.
2	डॉ. रमेश साहू, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन.	रायसेन	सीहोर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर की हैसियत से श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन के स्थान पर.

टिप्पणी .—रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg. (I.T.) (SA)-2018-368, दिनांक 1 मार्च 2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है. अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मई 2018

फा. क्र. 2156-इक्कीस-ब(दो).—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की धारा उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री विजय चन्द्रा, रजिस्ट्रार (विजिलेंस), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य-सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

F. No. 2156-XXI-B(2).—In exercise of the powers confered by sub-section (3) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Vijay Chandra, Registrar (Vigilance), High Court, Mahaya Pradesh as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा के आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 मई 2018

क्र. B-3115-दो-2-8-2015.—श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 10 मई से 15 जून 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रिया त्रिपाठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 12 जून 2018

क्र. A-1624-दो-2-58-2010.—श्री राजेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 20 से 30 जून 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 जून 2018

क्र. A-1639-दो-2-62-2013.—श्री ओंकार नाथ, सदस्य सचिव, एस. सी. एम. एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 18 से 26 जून 2018 तक नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 27 जून 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ, सदस्य सचिव, एस. सी. एम. एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो सदस्य सचिव, एस. सी. एम. एस. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.